R.M.M. Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher sub - Evidence

उ० नुकसानी का दावा किन तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे मामले मे प्रतिवादी अपने पक्ष मे क्या अभिवचन प्रस्तुत कर सकता है और वादी कितनी रकम नुकसानी के रूप में पाने का हकदार है यह विधि की उस शाखा से ज्ञातव्य है जिसके अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया जाता है। यदि दावा संविदा भंग पर आधारित है तो संविदा अधिनियम के अनुबन्धों के और यदि दावा किसी अपकृत्य के कारण किया गया तो अपकृत्य (TORT) सम्बन्धी विधि के अनुसार इन प्रश्नों का निर्णय करना होता है। साक्ष्य अधिनियम के परिधि में यह प्रश्न नही आते। यह केवल इतना ही घोषित करता है कि नुकसानी के दावे के ऐसे तथ्य सुसंगत है कि नहीं। जिसके आधार पर रकम अवधारित करना संभव हो सके, कौन से तथ्य सुसंगत है कि नहीं।

नुकसानी के लिए वादी ने रकम अवधारित करने के लिये न्यायालय की समक्ष प्रकृति सुसंगत तथ्य हैं।

प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें नुकसानी (Damages) का दावा किया जाता है न केवल वह प्रश्न विवादग्रस्त होता है कि वादी नुकसानी का हकदार है या नहीं अपितु नुकसानी की रकम को भी निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। अतः न्यायालय के सम्बन्ध या समक्ष ऐसे तथ्यों को साबित करना जरूरी होता है कि जिसके आधार पर उचित रकम का अवधारण संभव एवं सुलभ हो सके। यह धारा इस प्रकार के तथ्यों को सुसंगत है तो उस निष्कर्ष पर पहुँचने के पश्चात कि वह नुकसानी पाने का हकदार है न्यायालय उस तथ्यों की जाँच करेगा। जिसके आधार पर नुकसान की सही अवधारित हो सके। अतएव वे सारे तथ्य सुसंगत माने जाते हैं।